

क्रमांक- क्यू/कोरोना/2020
प्रति,

जबलपुर, दिनांक-23.03.2020

अध्यक्ष,
जिला अधिवक्ता संघ,
जिला जबलपुर/सिहोरा/पाटन

विषय- दिनांक 23.03.2020 एवं 24.03.2020 में न्यायालय में कोई कार्य न होने एवं न्यायालय बंद रहने बाबत।
संदर्भ- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक क्यू-2 जबलपुर दिनांक 22.03.2020।

—00—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के अंतर्गत लेख है कि, जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर द्वारा संपूर्ण जबलपुर जिले में टोटल लॉक-डाउन किया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जबलपुर जिले में स्थित सभी न्यायालयों में दिनांक 23 एवं 24 मार्च 2020 को कोई कार्य नहीं होगा और न्यायालय बंद रहेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि, रिमाण्ड एवं जमानत कार्य जैसे छुट्टियों में किये जाते हैं, उसी भांति किये जावेंगे।

(संजय शुक्ला)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (न.प्र.)

पृष्ठा.क्रं.- क्यू/कोरोना/2020
प्रतिलिपि-

जबलपुर, दिनांक-23.03.2020

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय न.प्र. जबलपुर।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
3. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जबलपुर।
4. प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जबलपुर की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग जबलपुर/सिहोरा/पाटन की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर सलग्न नोटिस चरपा किया जावे।
6. अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जबलपुर की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु प्रेषित।
7. प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

sd
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (न.प्र.)

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलपुर् (म.प्र.)

आदेश

क्र./९/CJM/

जलपुर् दिनांक 22-03-2020

वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण की पहचानियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधान जज जी निर्देशों के अनुसार यह आवश्यक हुआ है कि दिनांक 23-02-2020 को जारी आदेश किया जावे। अतः दिनांक कार्य निष्पादित करने हेतु दिनांक 26-2-2020 को जारी आदेश में आंशिक रूप से संशोधन करने हुए आदेशित किया जाता है कि जिला मुख्यालय में दिनांक 23-02-2020 को श्री अरविन्द सिंह जे.एम. एफ.सी. तथा दिनांक 24-03-2020 को श्री सुकुम जेन जे.एम.एफ.सी. दिनांक कार्य निष्पादित करेंगे।

सिहोरा न्यायालय में दिनांक 23-03-2020 को श्रीमती मृणालिनी सिंह. जे.एम.एफ.सी. तथा दिनांक 24-03-2020 को श्री विमेश कुमार प्रजापति. जे.एम.एफ.सी. दिनांक कार्य निष्पादित करेंगे।

पाटन न्यायालय में दिनांक 23-03-2020 को सुश्री उर्मिला यादव, जे.एम.एफ.सी. तथा दिनांक 24-03-2020 को श्री आदिल अहमद खान, जे.एम.एफ.सी. दिनांक कार्य निष्पादित करेंगे।

जिला मुख्यालय में दिनांक कार्य कोर्ट एम नंबर 25 में निष्पादित किया जाएगा।

अन्य उमेन/अन्य अवकाश दिनांकी हेतु आदेश दिनांक 26-02-2020 यथावत लागू रहेगा तथा जिला मुख्यालय जलपुर् में दिनांक कार्य कोर्ट एम नंबर 25 में निष्पादित किया जाएगा।


Sanjiv Kumar
22-3-2020.
लक्ष्मण पुनासे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जलपुर् (म.प्र.)

///आम सूचना///

कमांक- क्यू/कोरोनो/2020

जबलपुर, दिनांक-23.03.2020

सभी सम्मानीय अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं सभी सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, जबलपुर जिले में टोटल लॉक-डाउन होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 23.03.2020 एवं 24.03.2020 को सभी न्यायालय/अनुभाग बंद रहेंगे।


(संजय शुक्ला)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)